

इसे वेबसाइट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राज्यपाल

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल 2017—वैशाख 8, शक 1939

### भाग ४

#### विषय-सूची

- |                            |                               |                                 |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद के अधिनियम.            |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                 |

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंचरना विकास मण्डल  
चतुर्थ तल, खण्ड 3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग,  
अरेरा हिल्स, भोपाल— 462 011(म.प्र.)

क्र. 376-का.प्र.1-मण्डल-2017

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2017

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंचरना विकास मण्डल  
(संगठनात्मक संरचना एवं भर्ती ) विनियम, 2016

मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3 सन 1973) की धारा 15 तथा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, संचालक मण्डल, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से तथा मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल सेवाएं (लिपिक वर्गीय / कार्यपालक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी ) भर्ती तथा

सेवा शर्ते विनियम, 1977, विनियम, 1992, विनियम, 1998 तथा समस्त पूर्व संकल्पों, आदेशों तथा संबंधित विषयों के निर्देशों को अतिथित करते हुये, एतदद्वारा, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के विनियमन तथा संगठनात्मक संरचना से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, जिनका अनुमोदन व प्रमुख राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-23-06/2015/18-6 भोपाल दिनांक 04/04/2017 द्वारा की गई है, अर्थात् :—

### विनियम भाग—एक

#### 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—

{ 1 } इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संगठनात्मक संरचना एवं भर्ती} विनियम 2016 है।

{ 2 } ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

#### 2. परिभाषायें :— इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

{ क } “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम 1972 (क्रमांक 3 सन् 1973);

{ ख } “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (कामकाज का संचालन एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम—2015 के अनुसार नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां करने के लिये सक्षम हो;

{ ग } “मण्डल” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित मण्डल;

{ घ } “संचालक मण्डल” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित संचालक मण्डल;

{ ङ. } “आयोग” से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ;

{ च } “विभागीय पदोन्नति/सीधी भर्ती समिति” से अभिप्रेत है, ऐसी समिति जो विनियमों के अनुसार गठित हो ;

{ छ } “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश सरकार ;

{ ज } “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय—समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र.एफ-84-पच्चीस -4-84 तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

{ झ } “अनुसूची” से अभिप्रेत है, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची ;

{ झ } “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

- { ट } "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति, या जनजाति समूह के भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- { ठ } "चयन समिति" से अभिप्रेत है, भर्ती के लिये, विनियम 9 के अनुसार संचालक मण्डल द्वारा गठित समिति ;
- { ड } "सेवा" से अभिप्रेत है, अनुसूची—एक के कॉलम (2) में यथावर्णित सेवाएं ;
- { ढ } "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य ;

### 3. विस्तार तथा लागू होना –

ये विनियम अनुसूची—एक में वर्णित सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे ;

#### 4. सेवा का गठन :— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

- { 1 } वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के अधिसूचित होने के पूर्व, अनुसूची—एक में वर्णित पदों को मूलतः अथवा स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों।
- { 2 } वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के अधिसूचित होने के पूर्व विनियम, 1998 एवं विनियम, 1992 की अनुसूची—एक के अनुसार पदों पर नियुक्त किये गये हों।
- { 3 } वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किये जाएंगे।

#### 5. गठन, वर्गीकरण एवं वेतनमान :—

- { 1 } मण्डल की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं का वर्गीकरण, वेतनमान तथा पदों की संख्या अनुसूची—एक में उपबंधित किए गए अनुसार होगी ।
- { 2 } मण्डल की विभिन्न इकाइयों में विभिन्न पदों का वितरण अनुसूची—दो में दिए गए अनुसार होगा किन्तु आयुक्त, परियोजनाएं एवं कार्यों की आवश्यकताओं के अनुसार उनमें परिवर्तन कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे ।
- { 3 } प्रशासकीय विभाग की पूर्व अनुमति से संचालक मण्डल, पदों की संख्या, वेतनमान तथा वर्गीकरण, में समय—समय पर स्थाई या अस्थाई तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे । मण्डल पदों के कतिपय संवर्गों को मृत भी घोषित कर सकेगा ।

#### भाग—दो

#### 6. भर्ती का तरीका :—

- { 1 } इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी :—  
( क ) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की सेवाओं की सीधी भर्ती के मामले में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा संचालक मण्डल द्वारा यथा विहित प्रक्रिया एवं अभिकरण के माध्यम से :

परन्तु संचालक मण्डल द्वारा सहायक यंत्री (सिविल/विद्युत) की रिक्तियाँ भरने हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के बदले में जी.ए.टी.ई. (Graduate Aptitude Test in Engineering) में अंकों (स्कोर) के आधार पर अनुमति दी जा सकेगी।

(ख) तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के मामले में प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) के माध्यम से या संचालक मण्डल द्वारा यथा विहित अभिकरण एवं प्रक्रिया द्वारा;

(ग) अनुसूची एक में संविदा के आधार पर भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये मण्डल द्वारा यथा विहित शर्तों एवं प्रक्रिया के माध्यम से।

{ 2 } उपरोक्त उप-विनियम {1} के अनुसार नियुक्ति / भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में वर्णित संख्या से, अनुसूची-तीन में वर्णित संख्या/प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

{ 3 } इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात्, सीधी भर्ती केवल विनियम 6 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी अन्यथा नहीं।

## 7. सीधी भर्ती हेतु पात्रता की शर्तें :-

मण्डल की सेवाओं में चयन हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:-

### (1) आयु :

{ क } भर्ती हेतु विज्ञापन जारी करने के कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जनवरी को अनुसूची-चार (क) के कालम (3) के अनुसार न्यूनतम आयु प्राप्त की हो, किन्तु कालम (4) में दी गई अधिकतम आयु पूर्ण नहीं की हो।

{ ख } विभिन्न प्रवर्गों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा उपबंधित किए गए अनुसार आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा।

### (2) शैक्षणिक अर्हताएं :

अभ्यर्थी के पास अनुसूची- चार (क) के कालम (5) के अनुसार शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए।

## 8. निरर्हताएं:-

इन विनियमों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा पदों पर चयन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी निरह होंगे-

{ 1 } कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियों जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु यदि सरकार को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह छूट दे सकेगी।

{ 2 } किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में किसी ऐसे मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाए, जो मण्डल की सेवा में कर्तव्य के पालन में बाधा डालें :

परन्तु आपवादिक मामले में किसी अभ्यर्थी को किसी पद पर इस शर्त के अध्यधीन पूर्ण रूप से अस्थाई रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य के कारण से योग्य नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवा तत्काल समाप्त की जाएगी।

{ 3 } कोई भी उम्मीदवार सेवा के लिये पात्र नहीं होगा, यदि यथा अपेक्षित आवश्यक जांच के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा के लिये अनुपयुक्त है।

{ 4 } कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध में दोषी पाया गया हो। यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसका चयन, मामले में अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

{ 5 } कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिये अनुज्ञात की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया हो।

{ 6 } कोई भी अभ्यर्थी जिनकी दो से अधिक संतान हैं जिसमें से एक का जन्म 26.1.2001 को या उसके पश्चात् हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है सेवा के लिये निरह नहीं होगा।

{ 7 } अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए किसी भी साधन से सहायता की मांग करना उसे चयन के लिए निरह बनाएगा।

#### 9. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग/प्राधिकरण/चयन समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा :—

सीधी भर्ती के पद पर चयन के संबंध में अभ्यर्थी की पात्रता तथा अन्य विषयों पर, यथास्थिति, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड, संचालक मण्डल द्वारा नियुक्त अभिकरण अथवा चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

#### 10. सीधी भर्ती द्वारा चयन :—

- { 1 } (क) अधिनियम की धारा 35 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती की कार्यवाही, संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित वार्षिक भर्ती कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जाएगी।
- (ख) वार्षिक भर्ती कार्यक्रम के अन्तर्गत भर्ती की प्रक्रिया, विनियम 6 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
- { 2 } (क) सीधी भर्ती के अधीन रिवितयों के मामले में पदों का प्रतिशत समय-समय पर सरकार द्वारा नियत किया जा सकेगा जो क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होगा। आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश/निदेश/नियम/अधिनियम मण्डल में लागू होंगे।
- (ख) इस प्रकार आरक्षित पदों की रिक्ति को भरते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को विनियम-11 के अनुसार, अन्य अभ्यर्थियों के संबंध में उनके रथान को विचार में लाये बिना सूची में उसके आदेश के अनुसार विचार में लिया जाएगा।

- (ग) यदि आरक्षित पदों को भरने के लिये यथा अपेक्षित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से पर्याप्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने पर रिक्तियाँ आगामी भर्ती के लिए अग्रनीत की जाएंगी।
- (घ) निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, महिला तथा अन्य विशिष्ट वर्ग के लिए समस्तरीय (होरिजेन्टल) आरक्षण के उपबंध के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश / निदेश / नियम / अधिनियम मण्डल में लागू होंगे।

- { 3 } भर्ती के लिए आवेदन कम से कम दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में, मण्डल की वेबसाइट पर तथा रोजगार एवं निर्माण समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा आमंत्रित किये जाएंगे।
- { 4 } विभिन्न पदों के लिए आवेदन फीस, आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।
- { 5 } सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, द्वारा यथा संशोधित मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013 मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल में लागू होंगे।

11. आयोग से, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड से या चयन समिति के रूप में संचालक मण्डल द्वारा विहित अभिकरण द्वारा अभ्यर्थी की सूची :—

- { 1 } चयनकर्ता अभिकरण / चयन समिति ऐसे उपयुक्त अभ्यर्थियों की पृथक श्रेणीवार सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगी, जो नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता रखते हों।
- { 2 } अभ्यर्थी की, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों और विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो मण्डल के कर्मचारियों को लागू होते हों, रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए उसी क्रम से विचार में लिया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हों।
- { 3 } सूची में नाम को समिलित किया जाना, नियुक्ति का अधिकार तब तक प्रदान नहीं करता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का अभ्यर्थी की सब प्रकार से उपयुक्तता के बारे में समाधान न हो जाए एवं पदों की उपलब्धता के बारे में अंतिम विनिश्चय न हो जाए।
- { 4 } चयन सूची जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधि मान्य होगी, किन्तु संचालक मण्डल द्वारा इसकी कालावधि में अधिकतम 6 माह की वृद्धि की जा सकेगी।
- { 5 } संचालक मण्डल, चयन प्रक्रिया को स्थगित या निरस्त कर सकेगा अथवा चयनकर्ता अभिकरण को संसूचित पदों की संख्या से कम पदों पर नियुक्ति दिए जाने का निर्णय ले सकेगा।

## 12. परिवीक्षा :—

- { 1 } सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।
- { 2 } परिवीक्षा के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति को आयुक्त द्वारा यथा विहित प्रशिक्षण लेना होगा और विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- { 3 } परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी यदि नियुक्ति प्राधिकारी का मत है कि व्यक्ति का एक उपयुक्त मण्डल कार्मिक बनना संभव नहीं हो सकेगा।
- { 4 } ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के अन्त में समाप्त की जा सकेंगी यदि यह पाया जाता है कि व्यक्ति ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है या व्यक्ति सेवा के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता है।
- { 5 } यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति दो वर्ष में विभागीय परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असफल रहता है अथवा उसका कार्य नियंत्रणकर्ता अधिकारी के मत में संतोषजनक नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष से अनधिक के लिये बढ़ा सकेगा।
- { 6 } परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर लेने तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा में स्थाई कर दिया जाएगा बशर्ते कि स्थायी रिक्ति विद्यमान हों। अन्यथा, नियुक्ति प्राधिकारी यह कथन करते हुये उस व्यक्ति के पक्ष में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि व्यक्ति को स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु पद की अनुपलब्धता के कारण, ऐसा नहीं किया जा सका तथा जैसे ही और जब स्थायी पद उपलब्ध हो जाता है, व्यक्ति को स्थायी कर दिया जाएगा।

## भाग— तीन

### 13. अनुसूची—एक में उल्लिखित संविदा पदों के लिए अर्थर्थियों को अनुसूची—चार (ख) में उल्लिखित शर्तें पूरी करनी होंगी –

#### (एक) आयु :

- { क } उन्होंने भर्ती हेतु विज्ञापन जारी करने के कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जनवरी को अनुसूची—चार (ख) के कालम (3) के अनुसार न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो, और आयु कालम (4) में दिये गये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- { ख } संचालक मण्डल, अनुसूची—चार (ख) में उपबंधित आयु सीमा को शिथिल कर सकेगा।

#### (दो) शैक्षणिक अर्हताएं :

अभ्यर्थी के पास अनुसूची—चार (ख) के कालम (5) में यथावर्णित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए।

14. **निरहंता :-**

मण्डल में संविदा नियुक्ति के पदों पर चयन के लिए कोई अभ्यर्थी निरह हो जाएगा, यदि वह विनियम 8 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा चयन, नियुक्ति के लिए निरह हो जाता है।

15. **संविदा पदों पर चयन :-**

संचालक मण्डल, आयुक्त को, वार्षिक भर्ती कार्यक्रम के अनुसार सीधी भर्ती हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

16. **यदि संविदा पर नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवाएं संतोषजनक हैं और वह किसी निरहंता से ग्रसित न हो तो आयुक्त, संविदा अवधि में वृद्धि कर सकेगा किन्तु यह वृद्धि अधिकतम केवल दो बार की जा सकेगी।****भाग—चार**17. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :-**

{ 1 } पदोन्नति, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, द्वारा जारी नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार की जाएगी तथा राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर जारी आनुषंगिक आदेश, मण्डल में लागू होंगे एवं तदनुसार अनुसूची पाँच (क) के कॉलम (3) में वर्णित पात्रता होने पर अनुसूची पाँच (ख) के कॉलम (3) के अनुसार पदों पर पदोन्नति की जा सकेगी।

{ 2 } चयन सूची/ उपयुक्तता सूची तैयार करने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्नानुसार होगी :—

( क )—प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी पदों हेतु ;

1— अध्यक्ष/ सदस्य आयोग	अध्यक्ष
2— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
3— आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	सदस्य
4— यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग से कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो आयुक्त द्वारा नाम नामनिर्दिष्ट समुचित स्तर का कोई अधिकारी	सदस्य

( ख )— तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों हेतु ;

आयुक्त, कार्मिक प्रबंधन समिति का गठन करेगा जिसमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित होगा।

{ 3 } समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में दो बार होगी।

{ 4 } सेवा/पदों के सदस्यों की ज्येष्ठता सूची 1 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी तथा पदोन्नति के लिए विचार में लेने हेतु पदोन्नति समिति को उपलब्ध करवाई जाएगी।

{ 5 } विभागीय पदोन्नति के लिये अनुसूची—पाँच (क) के अनुसार शैक्षणिक अर्हताएं पूरी करना अनिवार्य होगा।

◆ { 6 } पदोन्नति के लिये रक्षित पदों हेतु फीडर केडर में लगातार 3 वर्ष तक कोई पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने या उपलब्ध होने की संभावना न होने की स्थिति में, संचालक मण्डल द्वारा फीडर केडर में अहकारी सेवा की शर्तों का शिथिलीकरण किया जा सकेगा।

#### 18. पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तेः—

पदोन्नति समिति के विचारण का क्षेत्र सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार होगा। पदोन्नति समिति ऐसे सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने पहली जनवरी को उस पद पर जिससे अगले उच्च पद पर पदोन्नति की जानी है, अनुसूची—पाँच (ख) में वर्णित किये गये अनुसार न्यूनतम अहता सेवा {मूल रूप से या स्थानापन्न} पूर्ण की हो तथा अनुसूची पाँच (क) के अनुसार पात्र हो ;

परन्तु इस विनियम के अधीन किसी कनिष्ठ व्यक्ति के नाम पर पदोन्नति के लिये केवल उनकी अपेक्षित अहकारी सेवा पूर्ण करने के आधार पर उससे वरिष्ठ व्यक्ति से पहले विचार नहीं किया जाएगा।

#### 19. पदोन्नति हेतु चयन सूची तैयार करना :—

चयन सूची, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार होगी।

#### 20. पदोन्नति हेतु चयन सूची का अनुमोदन :—

{ 1 } पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएगी। अनुमोदित की गई सूची अनुसूची—पाँच (ख) के कालम (3) में वर्णित पदों पर पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

{ 2 } उपरोक्तानुसार तैयार की गई चयन सूची, उस कैलेण्डर वर्ष में उद्भूत रिक्तियों की पूर्ति के लिए विधिमान्य होगी।

#### 21. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :—

{ 1 } सूची में सम्मिलित कार्मिकों की नियुक्ति संवर्गीय पदों पर, उसी क्रम से, किन्तु रोस्टर बिन्दु के अनुसार दो वर्ष के लिये स्थानापन्न हैसियत में की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम सूची में हो।

{ 2 } यदि पदोन्नत कार्मिक, पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने के दो वर्ष की कालावधि के भीतर पदोन्नत पद की समस्त अपेक्षाएं पूर्ण करने में असफल रहता है अथवा उसका कार्य नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो कार्मिक उसके पूर्व पद पर पदावन्त किया जा सकेगा। यदि कनिष्ठ पद पर रिक्ति उपलब्ध न हो तो सांख्येतर पद सृजित मानकर उसके वेतन तथा भत्तों का आहरण किया जायेगा।

3 } चयन सूची तैयार होने के पश्चात एवं पदोन्नति आदेश जारी होने के पूर्व विचाराधीन कार्मिक के विरुद्ध यदि कोई विभागीय जांच संस्थित होती है, सेवा से निलंबन आदेश जारी होता है अथवा अपराधिक प्रकरण में अभियोजित होता है तो पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया जाएगा एवं उसकी पदोन्नति की अनुशंसा बंद लिफाफे में की गई मानी जाएगी।

## 22. मृत संवर्ग (डाइंग कैडर) :-

इन विनियमों के प्रवर्तन में आने के पश्चात अनुसूची— छह में वर्णित संवर्ग, मृत संवर्ग होंगे, अर्थात् इन संवर्गों में कार्यरत कार्मिकों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति या अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वयंमेव समाप्त हो जाएंगे।

## 23. निर्वचन :-

इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो संचालक मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा। पदोन्नति की दशा में, यह सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार होगा।

## 24. छूट :-

इन विनियमों में किसी उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर ये विनियम लागू होते हैं, नियुक्ति प्राधिकारी की शक्ति को सीमित या कम करती हो, जो उसे उचित और न्यायसंगत प्रतीत होती हो :

**परन्तु** मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो संबंधित व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो ;

**परन्तु** यह और कि जहाँ कहीं भी विनियम स्पष्ट नहीं हैं, वहां मध्यप्रदेश सिविल सेवा [सेवा की सामान्य शर्तें] नियम, 1961 के उपबंध तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग नियम तथा अनुदेश लागू होंगे।

**अनुसूची-एक**  
**(विनियम- 5 देखिए )**  
**(पदों का वर्गीकरण, वेतनमान एवं पदस्थान)**

अनुक्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	पद की श्रेणी	वेतनमान (वेतन बैंड+ग्रेड वेतन)	पद का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आयुक्त	1	प्रथम श्रेणी	मध्यप्रदेश शासन के सचिव स्तर का।	मुख्यालय
2	अपर आयुक्त (सिविल)	3	प्रथम श्रेणी	37400-67000+8900	मुख्यालय / परिषेत्र
3	उपायुक्त (सिविल)	10	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600	मुख्यालय / सिविल वृत्त
4	उपायुक्त (विद्युत)	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600	विद्युत वृत्त
5	मुख्य वारचुविद	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600	मुख्यालय
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600	मुख्यालय
7	मुख्य संपदा अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600	मुख्यालय
8	मुख्य सतर्कता अधिकारी सह मुख्य विधिक सलाहकार	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600	मुख्यालय  (संविदा आधार पर भर्ती की दशा में, अंतिम आहरित सकल वेतन में से वर्तमान पैशान की रकम घटाकर सविदा वेतन में देय होगी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600	मुख्यालय
10	सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)	2	प्रथम श्रेणी के समकक्ष	प्रथम श्रेणी अधिकारी के न्यूनतम सकल वेतन के बराबर नियत संविदा वेतन के साथ प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की संविदा वेतन में बढ़ि की जाएगी। इसके अतिरिक्त आयुक्त द्वारा नियत प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष अन्य सुविधाएं/भत्ते पृथक से देय होंगे।	मुख्यालय
11	मुख्य अंकेशण अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600	मुख्यालय
12	प्रशासनिक अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय
13	संपदा अधिकारी	6	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय / सिविल वृत्त (संपदा अधिकारी कार्यालय)
14	लेखा अधिकारी	12	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय / सिविल वृत्त
15	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	31	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय / सिविल संभाग
16	कार्यपालन यंत्री (विद्युत)	3	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	विद्युत संभाग
17	वार्षिक विद.	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय
18	मूँ- प्रबंधन अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	विधि अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय  (सर्विदा आधार पर भर्ती की दशा में, अंतिम आहरित सकल वेतन में से वर्तमान पेशन की राशि घटाकर वह सर्विदा वेतन के रूप में देय होगी)
20	अंकेक्षण अधिकारी	2	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय
21	सूचना प्रोद्योगिकी अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय
22	सूचना प्रोद्योगिकी सलाहकार	1	प्रथम श्रेणी समकक्ष समेकित सर्विदा वेतन	आयुक्त द्वारा नियत किया गया	मुख्यालय
23	जनसंपर्क अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय
24	सहायक यंत्री (सिविल)	95	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	मुख्यालय / सिविल वृत्त / सिविल उपसंभाग
25	सहायक यंत्री (विद्युत)	9	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	विद्युत वृत्त / उपसंभाग
26	सहायक वास्तुविद	2	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	मुख्यालय
27	शाखा अधिकारी	11	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	मुख्यालय
28	संपदा प्रबंधक	32	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	सिविल वृत्त (संपदा अधिकारी कार्यालय) / सिविल संभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	कनिष्ठ अंकेक्षण अधिकारी	8	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	मुख्यालय
30	सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	2	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	मुख्यालय
31	निज सचिव	6	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+4200	मुख्यालय
32	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	4	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+4200	मुख्यालय
33	लेखापाल	58	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3600	मुख्यालय / वृत्त / संपदा अधिकारी कार्यालय / संभाग
34	निज सहायक	12	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3600	मुख्यालय
35.	सहायक प्रोग्रामर	12	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200	मुख्यालय / सिविल वृत्त
36	उपर्यंत्री (सिविल)	296	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200	मुख्यालय / वृत्त / संभाग / उपसंभाग
37	उपर्यंत्री (विद्युत)	28	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200	विद्युत वृत्त / सिविल संभाग
38	मानचित्रकार (वारस्तुविद)	4	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200	मुख्यालय
39	सहायक संपदा प्रबंधक-1	7	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200	मुख्यालय / संपदा अधिकारी कार्यालय
40	सहायक संपदा प्रबंधक-2	36	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2800	मुख्यालय / संपदा कार्यालय / संभाग
41	सहायक विधि अधिकारी	9	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200	मुख्यालय / वृत्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42	शीघ्रलेखक	9	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2800	मुख्यालय / वृत्त
43	डाटा एन्ट्री आपरेटर	19	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2800	मुख्यालय / वृत्त / संपदा कार्यालय
44	वरिच्च सहायक	266	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400	मुख्यालय / वृत्त / संपदा कार्यालय / संभाग
45	सहायक	428	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900	मुख्यालय / वृत्त / संपदा कार्यालय / संभाग
46	चालक	15	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900	मुख्यालय / वृत्त
47	दफतरी	21	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1400	मुख्यालय / वृत्त / संपदा कार्यालय / संभाग
48	भूत्य	318	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300	मुख्यालय / वृत्त / संपदा कार्यालय / संभाग / उपसंभाग

- टीप:- 1) कॉलम 6 में दर्शित पद का स्थान मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (कामकाज का संचालन एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम, 2015 के अनुसार संचालक मण्डल / आयुक्त द्वारा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है।  
 2) आयुक्त, मुख्यालय में पदस्थ किसी शाखा प्रमुख को अपने प्रभार के साथ मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी-अधिकारी का उसके नियमित प्रभार के अतिरिक्त देगा।  
 3) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 की धारा 2 (7) के अधीन मण्डल के समुचित अधिकारी को शासन द्वारा पदेन सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित / प्राधिकृत किया जा सकेगा।  
 इस अनुसूची में उल्लेखित संवर्गों के अतिरिक्त शेष अन्य, मूत्र सर्वा होंगे। ऐसे संवर्गों के पद कार्यरत कार्मिकों की सेवानिवृत्ति, अथवा अन्यथा स्वयंसेव अस्तित्वहीन हो जाएंगे। इन पदों में कार्यरत कार्मिक के सेवानिवृत्त होने तक इन पदों पर सांख्येतर पदों के रूप में बने रहेंगे।  
 4) इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात, ई-डी-पी-मैनेजर का पद समाप्त हो जाएगा तथा उक्त पद पर कार्यरत कार्मिक की सेवा, कम्प्यूटर प्रोग्राम सर्वांग में वरिच्चता को यथावत रखते हुए संवित्यत होंगे।

अनुसूची— 2

(विनियम- 5 देखिये)  
मण्डल को विभिन्न इकाईयों परदों का ब्यौदे

आवश्यकतातुसार कार्यालयावर पदों के बीच		आवश्यकतातुसार कार्यालयावर पदों के बीच																						
पद	क्रमांक	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
१	सहायक योगी (सिविल)	२५	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
२५	सहायक योगी (सिविल)																							९५
२६	सहायक योगी (विद्युत)																							९
२७	सहायक वारचुविद																							२
२८	शाजा अधिकारी																							११
२९	संपदा प्रबन्धक																							८
३०	कानून अधेक्षण अधिकारी																							२
३१	सहायक सूचना प्रयोगिकी अधिकारी																							६
३२	निज संवित																							४
३३	कम्प्यूटर प्रोग्रामर																							५
३४	लेखाचाल																							१२
३५	निज सहायक																							१२
३६	सहायक प्रोग्रामर																							२९६
३७	उपग्रही (सिविल)																							२८
३८	उपग्रही (विद्युत)																							४
३९	मानविकिकार (लैरस)																							५
४०	सहायक संपदा प्रबन्धक-१																							७
४१	सहायक संपदा प्रबन्धक-२																							३६
४२	सहायक विधि अधिकारी																							९
४३	शीप्रतेष्वक																							९
४४	डाटा एंट्री आरेटर																							१९
४५	वारेस सहायक																							२६६
४६	सहायक																							४२८
४७	चालक																							१५
४८	दफ्तरी																							२१
४९	मृत्यु																							३१८
५०	योग	७	९	१६	७९	१६	४२	१५	२६	६	४४	३९	११	१८२	१४	२७	३५१	४६२	४९	१००	१७९२			

**अनुसूची – तीन  
(विनियम-6 देखिए)  
(पदों की संख्या एवं विभाजन)**

अनुक्रमक पद का नाम	पद की संख्या	स्थीरकृत पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों का विभाजन / प्रतिशतता				आशुक्तिया
			सीधी भरती	विभागीय पदोन्नति	अन्य	(प्रतिनियुक्ति)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)
1	आयुक्त	1	–	–	1	उक्त अधिनियम, 1972 की धारा 13 (2) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा संचार से सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति द्वारा ।	केन्द्र सरकार / राज्य सरकार या उनके उपक्रमों से मुख्य अधिकारी स्तर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की जाएगी । यदि प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो संचालक मण्डल समय- समय पर विभागीय पदोन्नति से भरने की अनुज्ञा दे सकेगा ।
2	अपर आयुक्त (सिविल)	3	–	2	1	केन्द्र सरकार / राज्य सरकार या उनके उपक्रमों के अधीक्षण यंत्री स्तर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी । प्रतिनियुक्ति के लिए यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो संचालक मण्डल समय- समय पर विभागीय पदोन्नति से पद भरने की अनुज्ञा दे सकेगा ।	–
3	उपायुक्त (सिविल)	10	–	9	1	–	–
4	उपायुक्त (विद्युत)	1	–	1	–	–	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	मुख्य वास्तुविद	1	—	—	1 (प्रतिनियुक्ति)	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (राजपत्रित) सेवा के संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी या केन्द्र सरकार /राज्य सरकार के समकक्ष वेतनमान के वास्तुविदीय विशेषज्ञ/अधिकारी को प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1	—	—	1 (प्रतिनियुक्ति)	राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रवर श्रेणी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
7	मुख्य सपदा अधिकारी	1	—	—	1 (प्रतिनियुक्ति)	राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रवर श्रेणी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
8	मुख्य सतर्कता अधिकारी सह मुख्य निधिक सलाहकार	1	—	—	1 (प्रतिनियुक्ति / संविदा आधार पर)	न्यायिक सेवा से जिला एवं सत्र न्यायाधीश या समकक्ष अधिकारी की प्रतिनियुक्ति अथवा सेवानियुक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश या समकक्ष अधिकारी की संविदा नियुक्ति द्वारा ।
9	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	1	—	—	1 (प्रतिनियुक्ति)	केन्द्र सरकार की विभिन्न लेखा सेवाओं या मध्यप्रदेश वित्त सेवाओं के सम्बन्धित वरिष्ठता के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की जाएगी। प्रतिनियुक्ति हेतु असर्थी उपलब्ध नहीं है तो संचालक मण्डल समय-समय पर विभागीय पदोन्नति से पद भरने की अनुज्ञा दे सकेगा।
10	सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)	2	—	—	2 (संविदा आधार पर)	इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया से रजिस्ट्रीकृत सनदी लेखाकार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	मुख्य अंकेक्षण अधिकारी	1	—	—	1 (प्रतिनियुक्ति)	केन्द्र सरकार की विभिन्न लेखा सेवाओं या मध्यप्रदेश वित्त सेवाओं / स्थानीय निधि संपरीक्षा से समुचित वरिष्ठता के अधिकारी की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी।
12	प्रशासनिक अधिकारी/ लेखा अधिकारी/ संपदा अधिकारी	19	—	19	—	समान संवर्ग
13	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	31	—	31	—	—
14	कार्यपालन यंत्री (विद्युत)	3	—	3	—	—
15	वारतुविद	1	—	1	—	—
16	भू- प्रबंधन अधिकारी	1	—	—	1 (प्रतिनियुक्ति)	राज्य प्रशासनिक सेवा से अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा।
17	विधि अधिकारी	1	—	—	1. (प्रतिनियुक्ति / संविदा आधार पर)	राज्य प्रशासनिक सेवाओं से संवानिवृत्त अधिकारी की संविदा आधार पर नियुक्ति अथवा शाखा अधिकारी संवर्ग से वरिष्ठतम विधि स्नातक की नियुक्ति (सामान्यतः 3 वर्ष की कालावधि के पश्चात शाखा अधिकारी संवर्ग में वापस भेजा जाएगा)
18	अंकेक्षण अधिकारी	2	—	—	2 (प्रतिनियुक्ति)	केन्द्र सरकार की विभिन्न लेखा सेवाओं या मध्यप्रदेश वित्त सेवाओं / स्थानीय निधि संपरीक्षा से समुचित वरिष्ठता के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	1	—	—	1 (प्रतिनियुक्ति)	केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/ उपक्रमों/संस्था से सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर्स विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
20	सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	2	—	2	—	—
21	जनसंपर्क अधिकारी	1	—	—	1 (प्रतिनियुक्ति)	मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग से समुचित रसार के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
22	सहायक यंत्री (सिविल)	95	24 (25 प्रतिशत)	71 (75 प्रतिशत)	—	विभागीय पदोन्नति से – 1. डिप्लोमाधारक – 50% (47) 2. उपाधिधारक – 20% (19) 3. मानचित्रकार – 05% (05) (मानचित्रकार संवर्ग मूल संवर्ग है, यदि व्यक्ति फीडर केंडर से पदोन्नति हेतु उपलब्ध नहीं है, तो संचालक मण्डल मानचित्रकार कोटा समुचित रूप से परिवर्तित करेगा)
23	सहायक यंत्री (विद्युत)	9	2 (25 प्रतिशत)	7 (75 प्रतिशत)	—	विभागीय पदोन्नति से – 1. डिप्लोमाधारक – 50% (05) 2. उपाधिधारक – 25% (02)
24	सहायक वास्तुविद	2	1 (50 प्रतिशत)	1 (50 प्रतिशत)	—	—
25	शाखा अधिकारी / संपदा प्रबंधक	43	11 (25 प्रतिशत)	32 (75 प्रतिशत)	—	समान संवर्ग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26	कनिष्ठ अंकेक्षण अधिकारी	8	—	—	8 (प्रतिनियुक्ति)	—
27	निज सचिव	6	—	6	—	—
28	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	4	2 (50 प्रतिशत)	2 (50 प्रतिशत)	—	—
29	लेखापाल	58	—	58	—	—
30	निज सहायक	12	—	12	—	—
31	सहायक प्रोग्रामर	12	6 (50 प्रतिशत)	6 (50 प्रतिशत)	—	—
32	उपर्यंत्री (सिविल)	296	296	—	—	—
33	उपर्यंत्री (विद्युत)	28	28	—	—	—
34	मानविक्रांकर (वास्तुविद)	4	4	—	—	—
35	सहायक संपदा प्रबंधक-1	7	—	7	—	—
36	सहायक संपदा प्रबंधक-2	36	—	36	—	—
37	सहायक विधि अधिकारी	9	—	—	9 (आंतरिक प्रतिनियुक्ति / सविदा आधार पर)	सहायक संपदा प्रबंधक-2 / वरिष्ठ सहायक संवर्ग से वरिष्ठतम विधि स्नातक की 3 वर्ष के लिए अखाई नियुक्ति (सामाच्छतः 3 वर्ष की कालावधि के पश्चात मूल संवर्ग में वापस भेजा जाएगा)
38	शोधतंत्रज्ञक	9	9	—	—	—
39	डाटा एन्ट्री आपरेटर	19	19	—	—	—
40	वरिष्ठ सहायक	266	—	266	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41	सहायक		428 (90 प्रतिशत)	385 (10 प्रतिशत)	43	—
42	चालक	15	15	—	—	—
43	दपतरी	21	—	21	—	—
44	भृत्य	318	318	—	—	—

टीप :- स्थीकृत पदों के रिक्त होने की स्थिति में आयुक्त विधि अनुसार लंबित पद को भरने तक किसी समकक्ष अधिकारी अथवा उसी संवर्ग के कनिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त प्रमार दे सकता।

**अनुसूची – चार (क)**  
**(विनियम 7 देखिए)**

**(सीधी भर्ती के लिये व्यक्तियों की आयु तथा अहंता)**

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता / पात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सहायक यंत्री (सिविल)	21 वर्ष	40 वर्ष	सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि
2	सहायक यंत्री (विद्युत)	21 वर्ष	40 वर्ष	विद्युत इंजीनियरिंग में उपाधि
3	सहायक वास्तुविद	21 वर्ष	40 वर्ष	भारत सरकार / मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से वास्तुविद में उपाधि या भारत सरकार / मध्यप्रदेश सरकार तथा वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम।
4	शाखा अधिकारी / संपदा प्रबंधक	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी भी संकाय से मार्टर औफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.) से उपाधि
5	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	21 वर्ष	40 वर्ष	सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर विज्ञान में प्रथम श्रेणी इंजीनियरिंग उपाधि अथवा मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एज्लीकेशन प्रथम श्रेणी
6	सहायक प्रोग्रामर	18 वर्ष	40 वर्ष	स्नातक
7	डाटा एन्ट्री आपरेटर	18 वर्ष	40 वर्ष	हाथर सेकेण्डरी एवं मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर एज्लीकेशन में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र।
8	उपयंत्री (सिविल)	18 वर्ष	40 वर्ष	सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9 उपर्यंत्री (विद्युत)	18 वर्ष 40 वर्ष	18 वर्ष 40 वर्ष	विद्युत इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा।	
10 मानविकार (वास्तु)	18 वर्ष	40 वर्ष	वास्तुकला में 3 वर्षीय प्रथम श्रेणी डिप्लोमा।	
11 शीघ्रलेखक	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एन्जीकेशन में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र। कम्प्यूटर पर 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिंदी टायपिंग में दक्षता, शीघ्रलेखक के लिए अस्थर्थी को मान्यता प्राप्त संस्था / परिषद से 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी / हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	
12 सहायक	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एन्जीकेशन में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र। कम्प्यूटर पर 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिंदी टायपिंग में दक्षता	
13 चालक	18 वर्ष	40 वर्ष	10 वर्षी उत्तीर्ण	
14 भृत्य	18 वर्ष	40 वर्ष	10 वर्षी उत्तीर्ण	

टीप - 1. कॉलम (5) में उल्लिखित शैक्षणिक अहंताएँ न्यूनतम हैं। उच्चतर अहंताएँ रखने वाले अस्थर्थी भी चयन हेतु पात्र होंगे। वार्षिक भर्ता कार्यक्रम अनुमोदन के समय संचालक मण्डल द्वारा आतिरिक्त अहंता हेतु अतिरिक्त अंक दिए जाने का विनियय बोर्ड के लिए उपचारी होगा।

2. नियुक्ति हेतु आयु की संगणना नियुक्ति के कैलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी से की जाएगी।

**अनुसूची – चार (ख)**  
**(विनियम 13 देखिए)**

**(संविदा नियुक्ति के लिये व्यक्तियों की आयु तथा पात्रता मानदंड)**

अनुक्रमांक	पद का नाम	नूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता / पात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मुख्य सतर्कता अधिकारी सह मुख्य विधिक सलाहकार	—	63 वर्ष	मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवाओं के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा समकक्ष पद से सेवानिवृत्त अधिकारी ।
2	विधिक अधिकारी	—	63 वर्ष	मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारी ।
3	सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)	25 वर्ष	32 वर्ष	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ।
4	सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार	—	40 वर्ष	आयुकृत ह्वारा मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग / मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम से परामर्श के साथ तत्समय उपयुक्तता / पात्रता को भर्ता के समय विनिश्चय किया जाएगा ।

**टीप :-** नियुक्ति के लिए आयु की संगणना नियुक्ति के कैलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी से की जाएगी ।

**अनुसूची – पाँच (क)**  
**(विनियम 17 देखिए)**  
**(विभागीय पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड)**

अनुक्रमांक	पद का नाम	पात्रता मानदंड
(1)	(2)	(3)
1.	अपर आयुक्त (सिविल)	सिविल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक
2.	उपायुक्त (सिविल)	सिविल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक
3.	उपायुक्त (विद्युत)	विद्युत इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक
4	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	पदोन्नति की दशा में किसी भी सकाय में उपाधि
5	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	<p>1. सिविल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक</p> <p>उन सहायक यंत्रियों को जो विनियम 17 के अनुसार कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति के पात्र हैं तथा जो उपयंत्री/माननियकार संवर्ग से पदोन्नत किए जा चुके हैं, उपाधि की शर्तें आवश्यक नहीं हैं।</p> <p>2. विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।</p>
6	कार्यपालन यंत्री (विद्युत)	<p>1. विद्युत इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक</p> <p>उन सहायक यंत्रियों को जो विनियम 17 के अनुसार कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति के पात्र हैं तथा जो उपयंत्री/माननियकार संवर्ग से पदोन्नत किए जा चुके हैं, उपाधि की शर्तें आवश्यक नहीं हैं।</p> <p>2. विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।</p>
7.	वास्तुविद	भारत सरकार/मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से स्थापत्यकाला में उपाधि अथवा भारत सरकार/मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम तथा वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद।

(1)	(2)	(3)
8	लेखा अधिकारी / संपदा अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी	किसी भी संकाय में उपाधि
9	सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग में उपाधि  या  बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रथम श्रणी  टीप:-इन विनियमों के प्रवृत्त होने के समय कम्प्यूटर प्रोग्रामर के रूप पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर एप्लीकेशन / प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा होगा।
10	सहायक यंत्री (सिविल)	(अ) मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (ब) मानविकार संवर्ग से पदोन्नति की दशा में उपाधि या डिप्लोमा आवश्यक नहीं है।  मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा  भारत सरकार / मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से स्थापत्यकला में उपाधि या भारत सरकार / मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम तथा वारस्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वारस्तुविद।
11	सहायक यंत्री (विद्युत)	1. किसी भी संकाय में उपाधि 2. विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए
12	सहायक वारस्तुविद	हायर सेकेंडरी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र। शीघ्रतेखन के लिए कम्प्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टायपिंग में दक्षता, अध्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्था / परिषद से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी / हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
13	शाखा अधिकारी / संपदा प्रबंधक	
14	निज सचिव	

(1)	(2)	(3)
15	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग उपाधि या बेचलर ऑफ कम्प्यूटर एल्लीकेशन प्रथम श्रेणी टीप:-इन विनियमों के प्रवृत्त होने के समय सहायक प्रोग्रामर के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर एप्लीकेशन/प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा होगा। स्नातक
16	सहायक प्रोग्रामर	
17	लेखापाल	1. हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण । 2. विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। टीप :- इन विनियमों के प्रवृत्त होने के समय फीडर केंद्र में व्यक्तियों की, जो पुरानी पद्धति में हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण है, पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।
18	निज सहायक	हायर सेकेण्डरी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एल्लीकेशन में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र। शीघ्रतेखन के लिए कम्प्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टायपिंग में दक्षता, अर्थार्थ को मान्यता प्राप्त संरक्षा / परिषद से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी / हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
19	सहायक संपदा प्रबंधक-1	हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण टीप :- इन विनियमों के प्रवृत्त होने के समय फीडर केंद्र में व्यक्तियों की, जो पुरानी पद्धति में हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण है, पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।
20	सहायक संपदा प्रबंधक-2	हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण टीप :- इन विनियमों के प्रवृत्त होने के समय फीडर केंद्र में व्यक्तियों की, जो पुरानी पद्धति में हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण है, पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

(1)	(2)	(3)
21	वरिष्ठ सहायक	हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण टीप :— इन विनियमों के प्रयुत्त होने के समय फीडर केबल में व्यक्तियों की, जो पुरानी पद्धति में हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण है, परोन्नति के लिए विवार किया जायेगा।
22	सहायक	हायर सेकेण्डरी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एन्टीकेशन में डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र कम्प्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टायपिंग में दक्षता।
23	दप्तरी	भृत्य के पद हेतु मूल अर्हता।

**अनुसूची – पाँच (छ)**  
**(विनियम 18 देखिए)**

**(पद जिससे पदोन्नति की जाएगी, पदोन्नति पद एवं अर्हकारी सेवा)**

अनुसंधानक	पद / संवर्ग जिससे पदोन्नति की जाएगी	पद / संवर्ग जिसके लिए पदोन्नति की जाएगी	फीडर कैडर में न्यूनतम सेवा अवधि (कॉलम 2 के अनुसारे)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उपायुक्त सिविल	अपर आयुक्त (सिविल)	5 वर्ष
2.	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	उपायुक्त (सिविल)	5 वर्ष
3.	कार्यपालन यंत्री (विद्युत)	उपायुक्त (विद्युत)	5 वर्ष
4.	प्रशासनिक अधिकारी / लेखा अधिकारी / संपदा अधिकारी	मुख्य लेखा अधिकारी	10 वर्ष (पदोन्नति की दशा में)
5.	सहायक यंत्री (सिविल)	-कार्यपालन यंत्री (सिविल)	6 वर्ष
6.	सहायक यंत्री (विद्युत)	कार्यपालन यंत्री (विद्युत)	6 वर्ष
7.	सहायक वारचुपिद	वारचुपिद	6 वर्ष
8.	शाखा अधिकारी / संपदा प्रबंधक	प्रशासनिक अधिकारी / लेखा अधिकारी / संपदा अधिकारी	5 वर्ष
9.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	न्यूनतम 5 वर्ष

(1)	(2)	(3)	(4)
10	उपर्यंत्री (सिविल) / मानविकार (सिविल)	सहायक यंत्री (सिविल)	उपर्यंत्री (सिविल) डिलोमाधारक के लिए न्यूनतम 12 वर्ष या उपर्यंत्री (सिविल) डिग्रीधारक के लिए न्यूनतम 8 वर्ष टीप:-मानविकार (सिविल) संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित किया गया है। इन विनियमों के प्रवृत्त होने के समय मानविकार (सिविल) के पद पर कार्यरत व्यवित्तयों को भी न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर सहायक यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नति की पात्रता होगी।
11.	उपर्यंत्री (विद्युत)	सहायक यंत्री (विद्युत)	उपर्यंत्री (विद्युत) डिलोमाधारक के लिए 12 वर्ष या उपर्यंत्री (विद्युत) डिग्रीधारक के लिए 8 वर्ष
12.	मानविकार (वास्तु)	सहायक वास्तुविद	12 वर्ष
13.	लेखापाल	शाखा अधिकारी / संपदा प्रबंधक	5 वर्ष
14.	निज सहायक	निज सचिव	5 वर्ष
15.	सहायक प्रोग्रामर	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5 वर्ष
16.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	सहायक प्रोग्रामर	5 वर्ष
17.	सहायक संपदा प्रबंधक 1 एवं 2 तथा वरिष्ठ सहायक	लेखापाल	वरिष्ठ सहायक के रूप में 5 वर्ष टीप:- सहायक संपदा प्रबंधक 1 एवं 2 द्वारा विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उनकी पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा।
18.	शीघ्रलेखक	निज सहायक	न्यूनतम 5 वर्ष
19.	सहायक संपदा प्रबंधक- 2	सहायक संपदा प्रबंधक- 1	न्यूनतम 5 वर्ष

(1)	(2)	(3)	(4)
20	वरिष्ठ सहायक	सहायक संपदा प्रबंधक— 2	न्यूनतम 5 वर्ष
21	सहायक	वरिष्ठ सहायक	न्यूनतम 5 वर्ष
22	भूत्य / दपतरी	सहायक	भूत्य के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष
23	भूत्य	दपतरी	न्यूनतम 12 वर्ष

टीप :- 1. मानचित्रकार (सिविल) एवं सहायक मानचित्रकार (सिविल) संवर्ग मृत संवर्ग के रूप में घोषित किए गए हैं। इन विनियमों के प्रवृत्त होने के समय कार्यरत सहायक मानचित्रकार के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर सहायक मानचित्रकार (सिविल) आई.टी.आई. डिप्लोमाधारक को सेवानिवृत्त / पदोन्नति के पश्चात् अस्थित्यहीन हो जाएगा।

2. सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सहायक संवर्ग को मृत संवर्ग के रूप में घोषित किए गए हैं। इन विनियमों के प्रवृत्त होने के समय कार्यरत सुरक्षा गार्ड के पद पर जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, सुरक्षा गार्ड हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण सेवानिवृत्त / पदोन्नति के पश्चात् अस्थित्यहीन हो जाएंगे।

**अनुसूची— छह**  
**(विनियम 22 देखिए)**

निम्नलिखित संवर्ग पदों की आवश्यकता नहीं है अतएव उन्हें मूल संवर्ग घोषित किया जा रहा है इन संवर्गों के अधीन कार्यरत कार्मिक की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति या किसी अन्य कारण से रिक्त होने पर ये पद स्वभैव अस्तित्वहीन हो जाएंगे :—

अनुक्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत संख्या	पद की श्रेणी	(वेतन बैण्ड+ग्रेड केतन )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सक्षम प्राधिकारी	5	0	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600
2	सिस्टम एनालिस्ट	1	0	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600
3	संख्या सुरक्षा अधिकारी	1	1	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+4200
4	ई.डी.पी.मैनेजर	1	1	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+4200
5	सुरक्षा अधिकारी	1	2	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200
6	मानविकार (सिविल)	22	17	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200
7	सहायक मानविकार (सिविल)	35	7	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400
8	सहायक मानविकार (वार्स्ट्र)	15	2	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400
9	सुरक्षा सहायक	16	12	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900
10	विद्युतकार ग्रेड-3	0	1	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900
11	वायर मैन	22	13	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300
12	तकनीकी ग्रेड 1	60	25	चतुर्थ श्रेणी	5200-20200+1900
13	तकनीकी ग्रेड 2	42	27	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300
14	प्लबर	17	4	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300
15	कारपेन्टर	14	2	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300
16	पम्प अटेन्डेन्ट	55	11	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300
17	लिफ्ट मैन	3	1	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300
18	सुरक्षा गाड	30	20	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300
19	स्वीपर	36	14	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300
20	वाचमेन	1	1	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1400
21	स्लान्ट आपरेटर	2	1	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300

टैप :— स्वीकृत पद वर्ष 1992 के सेटअप के अनुसार 1998 में यथा पुनरीक्षित है।

क्र. 376-का.प्र.1-मण्डल-2017

Bhopal, the 12<sup>th</sup> April 2017

## **MP Housing and Infrastructure Development Board [Organizational Structure & Recruitment] Regulations 2016**

In exercise of the powers conferred by section 15 and 17 of the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board Act, 1972 (No 3 of 1973), the Board of Directors with prior permission of the State Government and in supersession of the Madhya Pradesh Housing Board services (clerical/executive class III and class IV) recruitment and conditions of service Regulations, 1977, Regulations, 1992, Regulations, 1998 and all previous resolutions, Orders and directions related to subjects, hereby, makes the following Regulations relating to the organizational structure and regulation of recruitment and service conditions of officers and employees of the Madhya Pradesh Housing & Infrastructure Development Board, the same having been approved and confirmed by the State Government, vide order no. F-23-06/2015/18-6 Bhopal dated 04/04/2017, namely :-

### **REGULATIONS**

#### **PART- I**

#### **1. Short title and commencement :-**

- (1) These regulations shall be called the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board (organizational structure and recruitment) Regulations, 2016
- (2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

#### **2. Definitions:-** In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) "**Act**" means the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board Act, 1972 (No. 3 of 1973);
- (b) "**Appointing Authority**" means such authority which is competent to make appointments and promotions as per Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board (conduct of business and delegation of powers) Regulations, 2015;
- (c) "**Board**" means the Board constituted under section 3 of the Act;
- (d) "**Board of Directors**" means the Board of Directors constituted under section 4 of the Act ;

- (e) "**Commission**" means the Madhya Pradesh Public Service Commission ;
- (f) "**Departmental Promotion/Direct Recruitment Committee**" means the Committee as such constituted under these regulations ;
- (g) "**Government**" means the Government of Madhya Pradesh ;
- (h) "**Other Backwards Classes**" means the Other Backwards Classes of citizens as specified by the state Government vide Notification No. F-84-XXV-4-84 dated the 26 th December 1984 as amended from time to time ;
- (i) "**Schedule**" means schedule appended to these regulations;;
- (j) "**Scheduled castes**" means any caste, race or tribe or part of, or group within caste, race tribe specified as scheduled castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of The Constitution of India;
- (k) "**Scheduled tribes**" means any tribe or tribal community or part of, or group within such tribe or tribal community specified as scheduled tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of The Constitution of India ;
- (l) "**Selection committee**" means the committee constituted by the Board of Directors as per regulation 9, for recruitment.
- (m) "**Service**" means services as mentioned in column (2) of Schedule- 1 ;
- (n) "**State**" means the State of Madhya Pradesh ;

### **3. Scope and Application :-**

These regulations shall be applicable to every member of service mentioned in schedule-I.

### **4. Constitution of service:-** The service shall consist of the following persons:-

- (1) The persons who are holding substantively or in officiating capacity the posts mentioned in Schedule-I, before the notification of these regulations.
- (2) The Persons appointed on the posts as per schedule-I of Regulations 1998 and Regulations 1992, before the notification of these regulations.
- (3) Persons who shall be appointed as per the provisions of these regulations.

## **5. Constitution, classification and Pay Scale:-**

- (1) Classification, Scale of pay and the number of posts for Board's class I, II, III & IV services shall be as provided in schedule-I
- (2) Distribution of various posts in various units of the Board shall be as per schedule-II but commissioner may change the same depending on project and requirements of works as he may deem fit.
- (3) With prior permission of the Administrative Department, the Board of Directors, may from time to time, increase or decrease temporarily or permanently, the number of posts, scale of pay, classification, as it may deem fit. The Board may also declare certain categories of posts as dying cadre.

### **Part- II**

#### **6. Methods of recruitment :**

- (1) After coming in force of these regulations, recruitment in service shall be made as per the following methods-
  - (a) In case of direct recruitment of class I and class II services the same shall be done through Madhya Pradesh Public Service Commission or by a procedure and agency as prescribed by the Board of Directors:
 

Provided that the Board of directors may permit to fill the vacancies of Assistant Engineer (Civil/Electrical), on the basis of score in GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) instead of through Madhya Pradesh Public Service Commission.
  - (b) In case of direct recruitment of class III and class IV posts, recruitment through Professional Examination Board (PEB) or by an agency and procedure as prescribed by Board of Directors;
  - (c) For appointment on contract basis on posts mentioned in schedule- I, on conditions and procedure as prescribed by Board.
- (2) Number of persons appointed/ recruited as per sub- regulation (1) above, shall not exceed the numbers mentioned in schedule-I along with the no./percentage mentioned in schedule-III.
- (3) After the coming in force of these regulations, direct recruitment shall be done only as per the provisions of Regulation 6 and not otherwise.

## **7. Eligibility conditions for Direct Recruitment:-**

The following eligibility conditions shall be fulfilled by the candidates for selection in the services of the Board.

**(1) Age :**

(a) On first January of Calendar Year of advertisement for recruitment, must have attained minimum age as per column 3 of schedule-IV (A) and the age should not be more than given in column (4).

(b) Benefit of age relaxation shall be provided to various categories as per State Government norms.

**(2) Educational Qualifications:**

Candidate must have educational qualifications as per column (5) of Schedule-IV (A)

## **8. Disqualifications:-**

For selection on posts by direct recruitment under these regulations, the following candidates shall be disqualified:-

**(1) Male candidate having more than one wife alive and female candidates married to a person whose wife is already alive:**

Provided that relaxation may be granted if the Government is satisfied that there is a special reason for doing so.

**(2) A candidate shall not be appointed till health examination finds him free from any physical and mental disorders, which may obstruct his duty in service of the Board:**

Provided that in exceptional case a candidate may be appointed on a post purely on temporary basis under the condition that if he /she is not found fit on health reasons, he/she shall be immediately terminated.

**(3) No candidate shall be eligible for service if Appointing Authority is satisfied about the unsuitability of the candidate, after necessary tests as required.**

**(4) Any candidate found guilty for any crime against women. If any such matter is pending against the candidate in the Court, his selection shall be kept pending till the final decision in the matter.**

- (5) Any candidate having married prior to attaining the minimum age permitted for marriage.
- (6) Any candidate having more than two issues and one of them is born on 26.01.2001 or after:  
Provided that if a candidate is having one issue and on delivery on 26.01.2001 or after gets two or more issues, shall not be disqualified for service.
- (7) Any canvassing done by the candidate for seeking help from anybody for his candidature shall disqualify him from selection.

**9. The decision of commission/Authority/selection committee regarding the eligibility of candidate shall be final.-**

The decision of Madhya Pradesh Public Service Commission, Professional Examination Board (PEB), agency appointed by the Board of Directors or selection committee, as the case may be, regarding selection on post of direct recruitment of a candidate for eligibility and other matters, shall be final.

**10. Direct Recruitment by Selection:-**

- (1) (a) As per the provisions of section 35 of the Act, process of direct recruitment shall be conducted in accordance with Annual recruitment program approved by the Board of Directors.  
(b) The process of recruitment under Annual recruitment program shall be as per procedure prescribed in Regulation 6.
- (2) (a) In case of vacancies under direct recruitment, percentage of posts as may be fixed by the Government from time to time shall be reserved for candidates of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. The orders/directions/rules/acts of State Government regarding reservation shall be applicable in Board.  
(b) While filling the vacant reserved posts, candidates belonging to scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes shall be considered as per their order in lists as per Regulation-11, irrespective of their place in relation to other candidates.  
(c) If sufficient candidates from scheduled castes , scheduled tribes and other backward classes are not available as required for filling reserved posts, the vacancies shall be carried forward for future recruitment.  
(d) The orders/directions /rules issued from time to time /acts of State Government, regarding provision of horizontal reservation for disabled persons, ex-serviceman, woman and other special category shall be applicable in Board.

- (3) The applications for recruitment shall be invited by advertisement in at least two State level News papers, on the website of the Board and in Rojgar and Nirman.
- (4) Application fee for various posts shall be determined by the Commissioner from time to time.
- (5) The provisions of Madhya Pradesh Junior Services (Joint qualifying) examination Rules 2013 as amended by General Administration Department, Government of Madhya Pradesh shall be applicable in Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board.

**11. List of candidate from Commission, PEB or by an authority prescribed by Board of Directors as selection Committee:-**

- (1) Selection agency/selection Committee shall send to appointing authority, separate category wise lists of suitable candidates, who are having the required capabilities for appointment.
- (2) The candidates shall be considered for appointment on vacant posts in the same order in which they appear in the list subject to the regulations and provisions of Madhya Pradesh civil services (conditions of service) rules, 1961 as applicable to board employees.
- (3) Inclusion of name in the list does not give a right for appointment till Appointing Authority is satisfied about suitability of the candidate and availability of posts is finally concluded.
- (4) The Selection list shall be valid for one year from the date of its issuance but the Board of Directors may extend it for a maximum period of 6 Months.
- (5) The Board of Director may postpone or cancel the selection process or may decide on giving appointment on lesser posts then those intimated to the selection agency.

**12. Probation:-**

- (1) Every person, appointed in service by direct recruitment shall be on probation for a period of two years.
- (2) During probation, the probationer shall have to undergo training as prescribed by the Commissioner and has to pass prescribed departmental examinations.
- (3) Services of a person, under probation may be terminated if appointing authority is of the opinion that the person may not be a suitable Board personnel.

- (4) The services of a person under probation may be terminated at the end of the probation period if it is found that the person has not cleared departmental examinations or person is not found suitable for service.
- (5) If the person under probation fails to clear departmental examination in 2 years or his performance is not satisfactory in the opinion of Controlling officer, the appointing authority may extend probation period not exceeding one year.
- (6) After successfully completing the probation and clearing departmental examinations, the person under probation shall be made permanent in service provided permanent vacancy exists. Otherwise, appointing authority shall issue a certificate in favour of the person stating that person would have been made permanent but due to non availability of the post, it could not be done and as and when permanent vacancy post is available, the person shall be made permanent.

### PART- III

#### **13. The Candidates for contract posts mentioned in schedule-I shall have to fulfil the conditions mentioned in schedule- IV (B)**

- (1) Age :
  - (a) They, on first January of Calendar Year of advertisement for recruitment, must have attained minimum age as per column (3) of schedule- IV (B) and the age should not be more than given in column (4).
  - (b) The Board of Directors may relax age limits provided in schedule- IV (B)
- (2) Educational qualification:

Candidate must possess educational qualification as mentioned in column (5) of schedule- IV (B).

#### **14. Disqualification:-**

A candidate shall be disqualified for selection on contract basis if he is disqualified for selection by direct recruitment, as per regulation 8.

#### **15. Selection on contract posts:**

The Board of directors may authorize the Commissioner, for direct recruitment as per Annual recruitment program.

- 16.** If services of a person appointed on contract basis are found satisfactory and has not become disqualified, than the Commissioner may extend contract period but such extension can be done maximum two times only.

## PART- IV

### **17. Appointment by promotion:**

- (1) The promotion shall be as per the rules and instructions issued by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh and relevant orders issued by State Government from time to time shall be applicable in Board and accordingly promotion may be granted to posts mentioned in column (3) of schedule-V (B) if found eligible as per column (3) of Schedule- V (A).
- (2) A Departmental Promotion Committee shall be constituted for preparing selection list/ suitability list, as follows:-

**(a) For class I and class II posts :**

- (1) Chairman/Member Commission : Chairman
- (2) Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Housing department. : Member
- (3) Commissioner, Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board : Member
- (4) If there is no representation from Scheduled caste/Scheduled tribe category, an officer of appropriate level nominated by the commissioner : Member

**(b) For class III and class IV posts :**

Commissioner shall constitute Personnel Management Committee in which a representative from Scheduled caste/Scheduled tribes category shall be included.

- (3) The Committee shall meet twice in a year ordinarily.
- (4) A Seniority list of the members of the service/posts as on 1<sup>st</sup> January shall be published and shall be provided to the promotion committee for consideration for promotion.

- (5) For departmental promotion, it shall be essential to fulfil educational qualifications as per Schedule-V (A).
- (6) In case the eligible candidates are not available or not likely to be available in feeder cadre for posts meant to be filled by promotion continuously for 3 years, the Board of Directors may relax conditions of qualifying service in feeder cadre.

#### **18. Conditions regarding eligibility for promotion:-**

The zone of consideration shall be as per rules and instructions of General Administration Department, Government of Madhya Pradesh. Promotion Committee, shall consider cases of all such persons who have on January 1, completed minimum qualifying service (substantively or officiating) on the post from which promotion is to be made on next higher post mentioned in Schedule- V (B) and are eligible as per schedule- V (A):

Provided that under this regulation, name of a junior person, shall not be considered before that of a senior person solely on the basis of having completed required qualifying service.

#### **19. Preparation of selection list for promotion:-**

The selection list shall be as per rules and instructions of General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.

#### **20. Approval of Selection list for Promotion:-**

- (1) The Selection list prepared by the promotion committee shall be presented to the appointing authority for consideration and approval. The approved list shall be the selection list for promotion on posts mentioned in column (3) of Schedule- V (B)
- (2) The selection list, as prepared above, shall be legally valid for fulfilling vacancies arising in the calendar year.

#### **21. Appointment in service from selection list :-**

- (1) Personnel included in the list shall be appointed on the cadre posts, in the order in which the names of the officers are in the list, but as per roster point, on officiating basis, for two year.
- (2) If a promoted personnel fails to meet all the requirements of the promoted post within a period of 2 years of taking charge or his work is not found satisfactory by controlling officer, the personnel is liable to be reverted to his previous post. If junior post is not available his pay and allowances shall be drawn assuming creation of super numerary post.

- (3) After preparation of selection list and before the issuance of promotion orders if any departmental enquiry is initiated against the concerned personnel, suspension order is issued or he is prosecuted in criminal case, promotion order shall not be issued and his recommendation of promotion shall be deemed to be in sealed envelope.
- 22.** **Dying cadre:** After the coming in force of these regulations, cadres mentioned in schedule- VI shall be dying cadres i.e. after the posts in these cadres fall vacant due to retirement, promotion or due to any other reason, the posts shall automatically cease to exist.
- 23.** **Interpretation:** If any question, arises as to the interpretation of these regulations, the decision of the Board of Directors shall be final. In case of promotion it shall be as per rules and instructions of General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.
- 24.** **Relaxation:** It shall not be derived from any provision of these regulation that it limits or reduces the power of the appointing authority against any person for whom these regulations apply, which he may deem fit and judicious:  
Provided that the matter shall not be disposed off in a manner less suitable for concerned person:  
Provided further that wherever the regulations are not clear, the provisions of Madhya Pradesh Civil services (conditions of service) rules, 1961, and rules and instructions of General Administration Department, Government of Madhya Pradesh shall be applicable.

**Schedule- I**  
**( See regulation 5)**  
**Classification of Post, Pay Scale and Place of Posting**

S.No	Name of Post	No. of Sanctioned Posts	Class of Post	Pay Scale ( Pay Band + Grade Pay)	Place of Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Commissioner	1	Class I	Secretary level of Government of Madhya Pradesh	Head Office
2	Additional Commissioner	3	Class I	37400-67000+8900	Head Office / Zone
3	Deputy Commissioner (Civil )	10	Class I	15600-39100+7600	Head Office / Civil Circle
4	Deputy Commissioner (Electrical)	1	Class I	15600-39100+7600	Electrical Circle
5	Chief Architect	1	Class I	15600-39100+7600	Head Office
6	Chief Administrative Officer	1	Class I	15600-39100+7600	Head Office
7	Chief Estate Officer	1	Class I	15600-39100+7600	Head Office
8	Chief Vigilance Officer Cum Chief Legal Advisor	1	Class I	15600-39100+7600	Head Office
				(In case of recruitment on contract basis, the contract pay will be last drawn gross pay minus present pension amount)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Financial Advisor and Chief Accounts Officer	1	Class I	15600-39100+7600	Head Office
10	Chartered Accountant	2	Equivalent to Class I	Fixed Contract pay equal to minimum gross pay of Class I Officer with 10% annual rise in contract pay. In addition facilities/allowances equivalent to class I officer as fixed by the commissioner will be payable.	Head Office
11	Chief Audit Officer	1	Class I	15600-39100+7600	Head Office
12	Administrative Officer	1	Class I	15600-39100+6600	Head Office
13	Estate Officer	6	Class I	15600-39100+6600	Head Office/ Civil Circle (Office of Estate Officer)
14	Accounts Officer	12	Class I	15600-39100+6600	Head Office/ Civil Circle
15	Executive Engineer (Civil)	31	Class I	15600-39100+6600	Head Office/ Civil Division
16	Executive Engineer (Electrical)	3	Class I	15600-39100+6600	Electrical Division
17	Architect	1	Class I	15600-39100+6600	Head Office
18	Land Management Officer	1	Class I	15600-39100+6600	Head Office

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Law Officer	1	Class I	15600-39100+6600 (In case of recruitment on contract basis, the contract pay will be last drawn gross pay minus present pension amount)	Head Office
20	Audit Officer	2	Class I	15600-39100+6600	Head Office
21	Information Technology Officer	1	Class I	15600-39100+6600	Head Office
22	Information Technology Consultant	1	Equivalent to class I	Consolidated Contract Pay as Fixed by Commissioner	Head Office
23	Public Relations Officer	1	Class I	15600-39100+6600	Head Office
24	Assistant Engineer (Civil)	95	Class II	15600-39100+5400	Head Office/Civil Circle/ Civil subdivision
25	Assistant Engineer (Electrical)	9	Class II	15600-39100+5400	Electrical Circle/ Division
26	Assistant Architect	2	Class II	15600-39100+5400	Head Office
27	Branch Officer	11	Class II	15600-39100+5400	Head Office
28	Estate Manager	32	Class II	15600-39100+5400	Civil Circle ( Office of Estate Officer)/ Civil Division
29	Junior Audit Officer	8	Class II	15600-39100+5400	Head Office

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	Assistant Information Technology Officer	2	Class II	15600-39100+5400	Head Office
31	Personal Secretary	6	Class II	9300-34800+4200	Head Office
32	Computer Programmer	4	Class II	9300-34800+4200	Head Office
33	Accountant	58	Class III	9300-34800+3600	Head Office/Circle/estate office/Division
34	Personal Assistant	12	Class III	9300-34800+3600	Head Office
35	Assistant Programmer	12	Class III	9300-34800+3200	Head Office/ Civil Circle
36	Sub Engineer (Civil)	296	Class III	9300-34800+3200	Head Office/ Circle/ Division/Sub Division
37	Sub Engineer (Electrical)	28	Class III	9300-34800+3200	Electrical Circle/ Civil Division
38	Draftsmen (Architect)	4	Class II	9300-34800+3200	Head Office
39	Assistant Estate Manager -1	7	Class III	9300-34800+3200	Head Office/ Estate Office
40	Assistant Estate Manager -2	36	Class III	5200-20200+2800	Head Office/ Estate Office/Division
41	Assistant Law Officer	9	Class III	9300-34800+3200	Head Office/ Circle
42	Stenographer	9	Class III	5200-20200+2800	Head Office/ Circle
43	Data Entry Operator	19	Class III	5200-20200+2800	Head Office/ Circle/ Estate Office

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44	Senior Assistant	266	Class III	5200-20200+2400	Head Office/Circle/ Estate Office /Division
45	Assistant	428	Class III	5200-20200+1900	Head Office/Circle/ Estate Office /Division
46	Driver	15	Class III	5200-20200+1900	Head Office/Circle
47	Daftari	21	Class IV	4440-7440+1400	Head Office/Circle/ Estate Office/Division
48	Peon	318	Class IV	4440-7440+1300	Head Office/Circle/ Estate Office/Division/Sub Division

- Note:-** 1. Place of post as shown in Col .6 is liable for Change by Board of Directors/ Commissioner as per Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board (*conduct of business and delegation of powers*) regulations, 2015.
2. Commissioner will give charge of Chief I T Officer to any section Head, posted in Head Office, in addition to his regular charge.
3. Under section 2(7) of M P Housing and Infrastructure Development Board Act, 1972, suitable Officer may be notified/authorized as ex-officio competent authority by Government.
4. cadres other than those mentioned in this schedule will be dying cadres .The posts of such cadres shall automatically cease to exist on retirement or otherwise of working personal. These posts will continue as supernumerary posts till the retirement of personnel working on these posts.
5. After the coming in force of these regulations, the post of EDP Manager will be abolished and the services of the person working on this post shall merge in computer programmer cadre keeping seniority intact.

schedule II  
(See regulation-5)

**(See Regulation-3)**

**(Details of Posts in Various Units of Board)**

S.no	Name of Post	Office wise details of Posts as per requirement																		Total 5 Estate Offices			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
26	Assistant Engineer (Elect.)																1						
27	Assistant Architect																						9
28	Branch Officer													2									2
29	Estate Manager														2		4	1					11
30	Jr. Audit Officer																						
31	Asstt. IT Officer																						8
32	Personal Secretary	1	1																				2
33	Computer Programmer																						6
34	Accountant																						4
35	Personal Asst.	1	2	1	1																		5
36	Asst. Programmer																						58
37	Sub Engineer (Civil)																						12
38	Sub Engineer (Elect.)																						12
39	Draftsmen (Arch.)																						296
40	AEM 1																						28
41	AEM 2																						4
42	Asstt Law Officer																						
43	Stenographer																						9
44	Data Entry Operator																						9
45	Senior Assistant	3	14																				5
46	Assistant	2	2	5	15																		266
47	Driver																						428
48	Daftari																						15
49	Peon	2	3	2	25																		21
Total		7	9	16	79	18	42	15	26	6	44	39	11	182	14	27	361	287	49	100	318	1792	

**Schedule - III**  
(See regulation 6)

No. of Posts and Division

S.No	Name of Post	No. of Sanctioned Posts	Division/Percentage of Posts to be Filled			Remarks
			Direct Recruitment	Departmental Promotion	Others	
1	Commissioner	1	-	-	1	By appointment of a Secretary level Officer from IAS cadre, by State Government as per section-13(2) of the Act, 1972
2	Additional Commissioner (Civil)	3	-	2	1 (Deputation)	An officer of level of Chief Engineer from Central/State Government or their Undertakings shall be appointed on deputation.
						If suitable candidate for deputation is not available, the Board of Directors may permit to fill the post by departmental promotion from time to time.
3	Deputy Commissioner (Civil)	10	-	9	1 (Deputation)	An officer of level of superintending Engineer from Central/State Government or their Undertakings shall be appointed on deputation.
						If suitable candidate for deputation is not available, the Board of Directors may permit to fill the post by departmental promotion from time to time.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Deputy Commissioner (Electrical)	1	-	1	-	-
5	Chief Architect	1	-	-	1 (Deputation)	Deputation of an officer of level of Joint Director from Madhya Pradesh Town and Country Planning (Gazetted) services or Architectural Expert/Officer of equivalent pay scale from Central/State Govt.
6	Chief Administrative Officer	1	-	-	1 (Deputation)	Deputation of a selection grade Officer from State Administrative Services.
7	Chief Estate Officer	1	-	-	1 (Deputation)	Deputation of a selection grade Officer from State Administrative Services.
8	Chief Vigilance Officer Cum Chief Legal Adviser	1	-	-	1 (Deputation / Contract )	Deputation of a District and Session Judge or equivalent officer from Judicial Services or contract appointment of a retired District and Session Judge or equivalent officer.
9	Financial Advisor and Chief Accounts Officer	1	-	-	1 (Deputation)	An officer of appropriate seniority from various accounting services of Central Government or from Madhya Pradesh Financial Services shall be appointed on deputation. If suitable candidate for deputation is not available, the Board of Directors may permit to fill the post by departmental promotion from time to time.
10	Chartered Accountant	2	-	-	2 (On Contract Basis)	CA registered with Institute of Chartered Accountants of India
11	Chief Audit Officer	1	-	-	1 (Deputation)	An officer of appropriate seniority from various accounting services of Central Government or from Madhya Pradesh Financial Services / local fund audit shall be appointed on deputation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Administrative Officer/ Accounts Officer/Estate Officer	19	-	19	-	Same Cadre
13	Executive Engineer (Civil)	31	-	31	-	
14	Executive Engineer (Electrical)	3	-	3	-	
15	Architect	1	-	1	-	
16	Land Management Officer	1	-	-	1	Deputation of Officer from State Administrative Services.
17	Law Officer	1	-	-	1	Appointment on contract basis of an officer retired from State Administrative Services or appointment of senior most law graduate from Branch officer cadre(Generally will be sent back to Branch officer cadre after a period of 3 years).
18	Audit Officer	2	-	-	2	(Internal Deputation/ Contract) an officer of appropriate seniority from various accounting services of Central Government or from Madhya Pradesh Financial Services /local fund audit shall be appointed on deputation.
19	Information Technology Officer	1	-	-	1	Deputation of IT / Computer expert from various Department's/undertaking/institution of Central or State Government
20	Assistant Information Technology Officer	2	-	2	-	
21	Public Relations Officer	1	-	-	1	Deputation of Office of a appropriate level from Public Relations Department of Madhya Pradesh Government

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22	Assistant Engineer ( Civil )	95	24 (25%)	71 (75%)	-	From departmental Promotions 1- Diploma Holder -50% (47) 2- Degree Holder -20% (19) 3- Draftsmen -05% ( 05 )  As draftsmen cadre is dying cadre, if persons are not available for promotion from feeder cadre, then the board of directors will convert the draftsmen quota appropriately.
23	Assistant Engineer ( Electrical )	9	2 (25%)	7 (75%)	-	From departmental Promotions 1- Diploma Holder -50% (05) 2- Degree Holder -25% (02)
24	Assistant Architect	2	1 (50%)	1 (50%)	-	
25	Branch Officer / Estate Manager	43	11 (25%)	32 (75%)	-	Same Cadre
26	Junior Audit Officer	8	-	-	8 (Deputation)	
27	Personal Secretary	6	-	6	-	
28	Computer Programmer	04	2 (50%)	2 (50%)	-	
29	Accountant	58	-	58	-	
30	Personal Assistant	12	-	12	-	
31	Assistant Programmer	12	6 (50%)	6 (50%)	-	
32	Sub. Engineer ( Civil )	296	296	-	-	
33	Sub. Engineer (Electrical)	28	28	-	-	
34	Draftsmen ( Architect )	4	4	-	-	
35	Assistant Estate Manager-1	7	-	7	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36	Assistant Estate Manager-2	36	-	36	-	
37	Assistant Law Officer	9	-	-	9 ( Internal/ Deputation)	Temporary appointment for 3 years of senior most Law Graduate from AEM -2 / Senior Assistant cadre. (Generally shall be sent back to parent cadre after a period of 3 years).
38	Stenographer	9	9	-	-	-
39	Data Entry Operator	19	19	-	-	-
40	Senior Assistant	266	-	266	-	-
41	Assistant	428	385 (90%) (10%)	43	-	-
42	Driver	15	15	-	-	-
43	Daffari	21	-	21	-	-
44	Peon	318	318	-	-	-

Note :- In the event of sanctioned posts remaining vacant, the Commissioner may give additional charge to equivalent officer or Junior Officer of same cadre, pending filling of the post as per law.

**Schedule – IV (A)**  
**(See regulation 7)**  
**(Age and eligibility of Persons for direct recruitment)**

S.No	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Educational Qualification/ Eligibility
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Assistant Engineer (Civil)	21 Yrs	40 Yrs	Degree in Civil Engineering
2	Assistant Engineer (Electrical)	21 Yrs	40 Yrs	Degree in Electrical Engineering
3	Assistant Architect	21 Yrs	40 Yrs	Degree in Architecture from any Institution recognized by Government of India/ Government of Madhya Pradesh or any other equivalent Course recognized by Government of India/ Government of Madhya Pradesh and an Architect registered under Architect Act, 1972
4	Branch Officer/ Estate Manager	21 Yrs	40 Yrs	Degree from any faculty + MBA
5	Computer Programmer	21 Yrs	40 Yrs	I Class Engineering Degree in IT /Computer Sc or 1 Class MCA
6	Assistant Programmer	18 Yrs	40 Yrs	Graduate
7	Data Entry Operator	18 Yrs	40 Yrs	Higher Secondary and Diploma/Certificate in Computer application from recognized University /Institution
8	Sub. Engineer (Civil)	18 Yrs	40 Yrs	3 years Diploma in Civil Engineering
9	Sub. Engineer (Electrical)	18 Yrs	40 Yrs	3 years Diploma in Electrical Engineering
10	Drafts Men (arch)	18 Yrs	40 Yrs	I Class 3 years Diploma in Architecture.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Stenographer	18 Yrs	40 Yrs	Higher Secondary and diploma in Computer Application/Certificate from the recognized University. Proficiency in Hindi Typing on computer at a speed of 30 words per minute, for stenographer the candidate must have passed the English/Hindi shorthand examination at a speed of 100 words per minute from recognized Institution/council.
12	Assistant	18 Yrs	40 Yrs	Higher Secondary and diploma in Computer Application/Certificate from the recognized University. Proficiency in Hindi Typing on computer at a speed of 30 words per minute.
13	Driver	18 Yrs	40 Yrs	10 <sup>th</sup> pass.
14	Peon	18 Yrs	40 Yrs	10 <sup>th</sup> pass.

Note - 1 Educational qualifications mentioned in Column (5) are minimum. Candidates having higher qualifications will also be eligible for selection. Decision of giving additional points for additional qualification useful for board will be taken by the Board of Directors at the time of approval of annual recruitment programme.

2 Computation of age for appointment will be done from Jan. 1<sup>st</sup> of calendar year of appointment.

**Schedule- IV (B)**  
**(See regulation-13)**  
**(Age and eligibility Criteria for Persons under Contract appointment)**

S.No	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Educational Qualification/ Eligibility
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Chief Vigilance Officer Cum Chief Legal Advisor	-	63 Years	District and Sessions Judge of Madhya Pradesh Higher Judicial Services or Officer retired from equivalent post.
2	Legal Officer	-	63 Years	Officer retired from Madhya Pradesh State Administrative Services.
3	Chartered Accountant	25 Years	32 Years	CA Registered in Institute of Chartered Accountants of India
4	I T Consultant	-	40 Years	Suitability / eligibility shall be decided at the time of recruitment by Commissioner in consultation with I T Department, Government of Madhya Pradesh, Electronic Development Corporation according to the requirements at that time.

Note: - Computation of age for appointment will be done from January 1<sup>st</sup> of calendar year of appointment.

**Schedule- V A**  
 (See regulation-17)  
**(Eligibility Criteria for Departmental Promotion)**

S. No <b>(1)</b>	Name of Post <b>(2)</b>	Eligibility Criteria <b>(3)</b>
1.	Additional Commissioner (Civil)	B. E/ B. Tech in Civil Engineering
2.	Deputy Commissioner (Civil)	B.E/ B.Tech in Civil Engineering
3.	Deputy Commissioner (Electrical)	B.E/ B.Tech in Electrical Engineering
4.	Financial Advisor and Chief Accounts Officer	Degree in any faculty in case of promotion
5.	Executive Engineer (Civil)	<p>1- B.E/ B.Tech in Civil engineering</p> <p>Condition of degree is not necessary for the Assistant Engineers, eligible for promotion to Executive Engineer post as per regulation 17 and who have been promoted from Sub Engineer / Draftsmen cadre</p> <p>2- Must have passed Departmental Accounts Exam.</p>
6.	Executive Engineer (Electrical)	<p>1- B.E/ B.Tech in Electrical Engineering</p> <p>Condition of degree is not necessary for the Assistant Engineers, eligible for promotion to Executive Engineer post as per regulation 17 and who have been promoted from Sub Engineer / Draftsmen cadre</p> <p>2- Must have passed Departmental Accounts Exam.</p>
7	Architect	Degree in Architecture from any Institution recognized by Government of India/Government of Madhya Pradesh or any other equivalent Course recognized by Government of India/ Government of Madhya Pradesh and an Architect registered under Architect Act, 1972

(1)	(2)	(3)
8 Accounts Officer / Estate Officer/ Administrative Officer	Degree in any faculty	
9 Assistant I T Officer	Engineering degree in I T / Computer Science.  or  I Class B C A	Note :- For the persons working as Computer Programmer at the time of coming in force of these regulations, educational qualification will be diploma in Computer Application / Programming.
10 Assistant Engineer (Civil)	(A) Diploma in Civil Engineering recognized by Government of Madhya Pradesh (B) In case of promotion from Craftsmen cadre, degree/ diploma is not essential.	
11 Assistant Engineer (Electrical)	Diploma in Electrical Engineering recognized by Government of Madhya Pradesh	
12 Assistant Architect	Degree in Architecture from any Institution recognized by Government of India/ Government of Madhya Pradesh or any other equivalent Course recognized by Government of India/ Government of Madhya Pradesh and an Architect registered under Architect Act, 1972	
13 Branch Officer / Estate Manager	1- Degree in any faculty 2- Must have passed departmental Accounts Examination.	
14 Personal Secretary		Higher Secondary and diploma in Computer Application/Certificate from the recognized University. Proficiency in Hindi Typing on computer at a speed of 30 words per minute, for stenographer the candidate must have passed the English/Hindi shorthand examination at a speed of 100 words per minute from recognized Institution/council.
15 Computer Programmer	Engineering degree in I T / Computer Science.  or  I Class B C A	Note :-For the persons working as Computer Programmer at the time of coming in force of these regulations, educational qualification will be diploma in Computer Application / Programming.
16 Assistant Programmer	Graduate	

(1)	(2)	(3)
17	Accountant	1- Higher Secondary (10+2) pass. 2- Must have passed departmental accounts exam.  Note :- Persons in feeder cadre at the time of coming in force of these regulations, who have passed higher secondary in old system, will also be considered for promotion..
18	Personal Assistant	Higher Secondary and diploma in Computer Application/Certificate from the recognized University. Proficiency in Hindi Typing on computer at a speed of 30 words per minute for stenographer the candidate must have passed the English/Hindi shorthand examination at a speed of 100 words per minute from recognized Institution/council.
19	Assistant Estate Manager I	Higher Secondary (10+2) pass  Note :- Persons in feeder cadre at the time of coming in force of these regulations, who have passed higher secondary in old system, will also be considered for promotion.
20	Assistant Estate Manager 2	Higher Secondary (10+2) pass  Note :- Persons in feeder cadre at the time of coming in force of these regulations, who have passed higher secondary in old system, will also be considered for promotion.
21	Senior Assistant	Higher Secondary (10+2) pass  Note :- Persons in feeder cadre at the time of coming in force of these regulations, who have passed higher secondary in old system, will also be considered for promotion..
22	Assistant	Higher Secondary and diploma in Computer Application/Certificate from the recognized University. Proficiency in Hindi Typing on computer at a speed of 30 words per minute.
23	Daftari	Basic qualification for the post of peon.

**Schedule V (B)**  
 (See regulation- 18)  
**Post from which promotion  
 shall be done, promotion post and qualifying service**

S.No	Post / cadre from which promotion will be done	Post / cadre for which promotion will be done	Minimum service period in feeder cadre (As per column 2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Deputy Commissioner ( Civil )	Additional Commissioner ( Civil )	Minimum 5 years
2	Executive Engineer (Civil)	Deputy Commissioner ( Civil )	5 years
3	Executive Engineer (Electrical)	Deputy Commissioner ( Electrical )	5 years
4	Administrative Officer / Accounts Officer / Estate Officer	Chief Accounts Officer	10 years ( In case of Promotion )
5	Assistant Engineer (Civil)	Executive Engineer (Civil)	6 years
6	Assistant Engineer (Electrical)	Executive Engineer (Electrical)	6 years
7	Assistant Architect	Architect	6 years
8	Branch Officer / Estate Manager	Administrative Officer / Accounts Officer / Estate Officer	5 years
9	Computer Programmer	Assistant I T Officer	5 year

(1)	(2)	(3)	(4)
10	Sub. Engineer (Civil) / Draftsman (Civil)	Assistant Engineer (Civil)	12 years for Sub Engineer (Civil) (Diploma Holder) or Min. 8 years for Sub Engineer(Civil) (Degree Holder)
			Note: - The draftsman (civil) has been declared as dying cadre. Persons working on the post of draftsmen (civil) at the time of coming in force of these regulations will also be eligible for promotion to the post of assistant engineer (civil) on completion of 12 years.
11-	Sub. Engineer (Electrical)	Assistant Engineer (Electrical)	12 years for Sub Engineer (Civil) (Diploma Holder) Or Min.8 years for Sub Engineer (Civil) (Degree Holder)
12	Draftsman (arch)	Assistant Architect	12 years
13-	Accountant	Branch Officer / Estate Manager	5 years
14-	Personal Assistant	Personal Secretary	5 years
15	Assistant Programmer	Computer Programmer	5 years
16	Data Entry Operator.	Assistant Programmer	5 years
17	AEM- 1 & 2 and Senior Assistant	Accountant	5 years as Senior Assistant  Note:- AEM 1 and 2 shall be considered for promotion after clearing departmental accounts Examination.
18	Stenographer	Personal Assistant	5 years
19	A E M -2	A E M -1	5 years

(1)	(2)	(3)	(4)
20	Senior Assistant	A E M -2	5 years
21	Assistant	Senior Assistant	5 years
22	Peon / Daftari	Assistant	5 years as peon
23	Peon	Daftari	12 years

Note 1- The draftsman (civil) and assistant draftsman (civil) cadre has been declared as dying cadre . The posts of assistant draftsman (civil) shall cease to exist after retirement /promotion of ITI diploma holder assistant draftsman (civil) who have completed 5 years of service, working at the time of coming in force of these regulations.

2- The security guard and security assistant cadres are being declared as dying cadre . The posts of security guards shall cease to exist after retirement /promotion of higher secondary pass security guards who have completed 5 years of service , working at the time of coming in force of these regulations.

**Schedule- VI**  
**(See regulation 22)**

The following cadre posts are not required and hence are to be declared as those of dying cadre. These posts will cease to exist automatically due to retirement, promotion or due to any other reason of the personnel working under these cadres.

S.No	Name of Post	Sanctioned Strength	Working Strength	Class of Post	Pay Scale ( Pay Band + Grade Pay)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Competent Authority	05	00	Class I	15600-39100+6600
2	System Analyst	01	00	Class I	15600-39100+6600
3	Chief Security Officer	01	01	Class II	9300-34800+4200
4	EDP Manager	01	01	Class II	9300-34800+4200
5	Security Officer	01	02	Class III	9300-34800+3200
6	Draftsman(Civil)	22	17	Class III	9300-34800+3200
7	Assistant Draftsman (Civil)	35	07	Class III	5200-20200+2400
8	Assistant Draftsman (arch.)	15	02	Class III	5200-20200+2400
9	Security Assistant	16	12	Class III	5200-20200+1900
10	Electrician Grade III	00	01	Class III	5200-20200+1900
11	Wireman	22	13	Class IV	4440-7440+1300
12	Technician Grade I	60	25	Class IV	5200-20200+1900
13	Technician Grade II	42	27	Class IV	4440-7440+1300
14	Plumber	17	04	Class IV	4440-7440+1300
15	Carpenter	14	02	Class IV	4440-7440+1300
16	Pump Attendant	55	11	Class IV	4440-7440+1300
17	Lift Men	03	01	Class IV <sup>1st F</sup>	4440-7440+1300
18	Security Guard	30	20	Class IV	4440-7440+1300
19	Sweeper	36	14	Class IV	4440-7440+1300
20	Watch Men	01	01	Class IV	4440-7440+1400
21	Plant Operator	02	01	Class IV	4440-7440+1300
	<b>Total</b>	<b>379</b>	<b>162</b>		

Note:- The sanctioned posts are according to setup of year 1992 as revised in 1998.